



## बिहार विधान परिषद

(202वां शीतकालीन सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

14 दिसंबर 2022

-----

[सामान्य प्रशासन - राजस्व एवं भूमि सुधार - पर्यटन - नगर विकास एवं आवास - सहकारिता - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - सूचना एवं जनसम्पर्क - आपदा प्रबंधन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - निर्वाचन सूचना प्रौद्योगिकी ].

Total Short Notice Question- 10

-----

### समस्या का समाधान

\*1 मो. फारूक (विधान सभा):

क्या नगर विकास एवं आवास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत नगर परिषद् क्षेत्र शिवहर, वार्ड नं.- 16 रानी पोखर कॉलोनी में सघन बसावट होने के बावजूद जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है जिस कारण हजारों घरों में नाला का पानी घुस जाता है और सड़क पर भी जल जमाव बना रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि नगर परिषद् क्षेत्र अंतर्गत फत्तहपुर ट्रांसफरमर चौक से पछियारी टोला तक की सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, सड़क पर चौड़े गड्ढे निर्मित हो गए हैं और यातायात में भारी कठिनाई उत्पन्न हो गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिवहर नगर परिषद् की उपर्युक्त समस्याओं को तत्काल दूर करने के लिए योजना बनाकर इसे कार्यान्वित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

----

### समय सीमा तय

\*2 श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):

क्या खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-  
क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला में धान अधिप्राप्ति की शुरुआत 15 नवंबर से निर्धारित की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला में धान की कटाई 15 नवंबर के बाद से शुरू हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला में धान कटाई के बाद से अधिप्राप्ति हेतु तय समय सीमा बढ़ाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### प्रक्रिया में बदलाव

\*3 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-  
क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में पैक्स अध्यक्ष के चुनाव हेतु मतदाता पैक्स अध्यक्ष की अनुशंसा पर ही बनाए जाते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इस कारण अध्यक्ष केवल अपने पक्ष के लोगों की ही मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाते हैं और इस कारण कई ऐसे मतदाता मतदान करने से वंचित हो जाते हैं, जो वास्तव में मतदाता बनने के पात्र होते हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पैक्स चुनाव हेतु मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया में बदलाव करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई

\*4 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):

क्या नगर विकास एवं आवास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, लखीसराय आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है, भ्रष्टाचार का आलम यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना, माननीय लोकायुक्त, बिहार सहित जिला के वरीय पदाधिकारियों के जांच प्रतिवेदन से फर्जी नियुक्ति सिद्ध होने के पश्चात भी संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर भ्रष्टाचार को खत्म करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

----

### नगर पंचायत में शामिल

\*5 श्री सच्चदानिंद राय (स्थानीय प्राधिकार, सारण):

क्या नगर विकास एवं आवास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि जिला पदाधिकारी, सिवान ने राजस्व ग्राम जगदीशपुर तथा धनछुआ को नगर पंचायत, महाराजगंज में शामिल करने हेतु अपने ज्ञापांक- 1129, दिनांक- 30.06.2022 से प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रस्ताव अनुमोदित नहीं होने के कारण जगदीशपुर तथा धनछुआ राजस्व ग्राम के निवासियों का विकास कार्य, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि कागजात नहीं बन रहे हैं, जिसके कारण आम जनता परेशान है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड 'क' में वर्णित प्रस्ताव को स्वीकार करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### समय सीमा निर्धारण

\*6 श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):

क्या नगर विकास एवं आवास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत शहरी नल जल योजना के

क्रियान्वयन में पाईप बिछाने के लिए सड़क खुदाई के बाद सड़क को पूर्वावस्था में लाने की जिम्मेदारी नल जल योजना का क्रियान्वयन कर रहे संवेदक की थी;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना के क्रियान्वयन कर रहे संवेदक को उनके कार्य के विपत्र का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो समस्तीपुर नगर निगम के जिन क्षेत्रों में पाईप बिछाने के क्रम में सड़क की क्षति हुई उनका प्रतिस्थापन क्यों नहीं हुआ है और इस अनियमित भुगतान और आम जन की कठिनाई के लिए जिम्मेदार कौन होंगे? अगर हां तो इसकी समय सीमा क्या होगी और कबतक पुनर्स्थापन होगा?

-----

### जमीन उपलब्ध कराने की अद्यतन स्थिति

\*7 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार ):

क्या मंत्रिमंडल सचिवालय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि बिहार सरकार ने पटना के बिहटा में हवाई अड्डा के निर्माण के लिए 108 एकड़ जमीन उपलब्ध करा दी है पर आजतक वहां एक ईंट भी नहीं रखी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि इसी तरह पूर्णिया में भी हवाई अड्डा के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है तथा हवाई अड्डे को हाइवे संपर्कता की बात भी कही गई है, लेकिन वहां भी यही स्थिति है;

(ग) क्या यह सही है कि पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी एवं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित रक्सौल हवाई अड्डे की भी यही स्थिति है और जमीन उपलब्ध कराने के बावजूद आजतक वहां कोई काम आरंभ नहीं हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को दर्शाये गये स्थानों पर हवाई अड्डे के लिए जमीन उपलब्ध कराए हुए कितने दिन हो गये हैं, कितनी जमीन उपलब्ध करायी गई है तथा इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई हेतु भारत सरकार को कब-कब पत्र दिया गया है और उसकी अद्यतन स्थिति क्या है?

-----

### सड़क का निर्माण

\*8 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी प्रखंड के अनीसाबाद चित्रगुप्त समाज कमिटी से एम्स तक जाने वाली नहर शीट इन्डेक्स नं.- सी.एस. 2805026603503 में प्लॉट नं.- 1210 एवं 121 पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नगर के अगल-बगल निवास करने वाले लोगों को अतिक्रमणकारियों से काफी परेशानी एवं गंदगी का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि वह इलाका काफी संकीर्ण आबादी वाला रहने के कारण वहां स्थायी रूप से निवास करने वाले लोगों को उक्त नहर में नाले का पानी गिराने के कारण कई प्रकार की भयंकर बीमारी होने की सम्भावना बनी रहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नहर के लिए भूगर्भ नाला एवं उसके ऊपर पी.सी.सी. सड़क का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### **सड़क का चौड़ीकरण**

**\*9 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या **नगर विकास एवं आवास** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत बेली रोड, दानापुर के गोला रोड से टी प्वाइंट तक 90 फीट सड़क के चौड़ीकरण हेतु वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक कई बार नापी हो चुका है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क व्यस्तम सड़कों में से एक है जिसमें शाम के समय भयंकर जाम लग जाता है, सड़क के अतिक्रमण के चलते लोगों का चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का चौड़ीकरण कबतक करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

----

### **ठोस योजना**

**\*10 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या **राजस्व एवं भूमि सुधार** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के अनेकों प्रखण्डों में अंचलाधिकारी / राजस्व अधिकारी की मिलीभगत से किसी भी व्यक्ति की भूमि की किसी और के नाम से ऑनलाइन रसीद काट दी जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि भूमाफियाओं एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से जमीन को विवादित बना दिया जाता है और फिर अवैध उगाही करने का कार्य पूरे राज्य में चरम सीमा पर है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित कर सजा देने एवं किसी भी व्यक्ति की जमीन की ऑनलाइन गलत रसीद ना कटे, इसके लिए कोई ठोस योजना बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

-----